न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 380/2025(GCMS : 2025/511)

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री राज कुमार, शाखा–रामसेक, नजदीक चहल चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार निवासी मकान नं. डी–13, शार्प एड्ज सिटी, श्रीगंगानगर (राज.)–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी पूनम को ऋण सुविधा के रूप में 13.15/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 18.12.2024 प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 24.09.2025 को 13,26,085/– रूपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी पूनम द्वारा बंधक रखी अपनी चल सम्पत्ति Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ 13 CF 4688, Maker's Name -TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD., Model Name – TATA NEXON CRTV + S DMT, Engine No. – 1.5CR08NVXW28339, Chassis No. MAT627464RLN68360, Colour CALGARY WHITE, Model 2025,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी पूनम** को **13.15/– लाख रूपये का ऋण की स्वीकृत दिनांक 18.12.2024 को प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पूनम ने अपनी **चल सम्पत्ति Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ 13 CF [illegible]ker's Name -TATA MOTORS PASSENGER [illegible] Name – TATA NEXON CRTV + S DMT, [illegible]NVXW28339, Chass[illegible] No. MAT627464RLN68360, Colour CALGA[illegible] WHITE, Model 202[illegible]** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

का खाता दिनांक 16.08.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं तामील ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी पूनम की चल सम्पत्ति Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ 13 CF 4688, Maker's Name -TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD., Model Name – TATA NEXON CRTV + S DMT, Engine No. – 1.5CR08NVXW28339, Chassis No. MAT627464RLN68360, Colour CALGARY WHITE, Model 2025, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 24.09.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 24.09.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 25.09.2025 को पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया था, जिसकी पावती का ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा [illegible] है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई [illegible] प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा के [illegible] द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा [illegible] बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested

विविध बैंक प्रकरण संख्या 380/2025
(GCMS No. 2025/511)
भारतीय स्टेट बैंक बनाम पूनम

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का **उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी पूनम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई चल सम्पत्ति Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ 13 CF 4688, Maker's Name -TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD., Model Name–TATA NEXON CRTV + S DMT, Engine No.–1.5CR08NVXW28339, Chassis No.-MAT627464RLN68360, Colour CALGARY WHITE, Model 2025, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested